.न्यायालय ::– अपर सेशन न्यायाधीश, कुचामन सिटी
जिलाः डीडवाना–कुचामन (राज0)

पीठासीन अधिकारी : कुसुम सुत्रकार **आर.जे.एस.**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना–पत्र संख्याः 80/2026
प्रथम सूचना संख्याः 85/2026, पुलिस थाना–चितावा

दिनेश पुत्र कालुराम निवासी कड़वा का बासड़ा, स्टेशन रोड़, कुचामन सिटी, जिलाः डीडवाना–कुचामन।

—— प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य। **—— अभियोगी**

::–उपस्थितिः:–

1– राज0 राज्य की ओर से	–	श्री मनीष शर्मा, अपर लोक अभियोजक।
2– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से	–	अधिवक्ता, श्री मुश्ताक खॉ।

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
अपराध अन्तर्गत धारा 305(डी) भारतीय न्याय संहिता, 2023

दिनांक :– 05–06–2026

–:: आदेश ::–

1. प्रार्थी/अभियुक्त दिनेश की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में पेश किया गया, जिसकी नकल अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। केस डायरी तलब की गई। बहस जमानत प्रार्थना पत्र सुनी गई।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है दिनांक 20–05–2026 को परिवादी वासुदेव ने उपस्थित थाना चितावा होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि वह दिनांक 19–5–2026 का प्रातः गोन्याणा तालाब में करणी माता के मन्दिर पूजा करने गया था। उसने वहां पर दिनेश पुत्र कालूराम, निवासी कुचामन को देखा था। उसके उपरान्त जब वह शाम को मन्दिर में

अगरबती करने आया तो उसने देखा कि मंदिर के दरवाजे की कुंडी का ताला टूटा हुआ था। मन्दिर के अन्दर चांदी के छत्र नहीं थे। कोई संदिग्ध व्यक्ति चांदी के छत्र चुराकर ले गया है। उक्त चोरी दिनांक 19–5–2026 को दोपहर 11:00–12:00 बजे के आस–पास हुई थी। इसलिये कार्यवाही किए जाने का निवेदन किया।

3. उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना चितावा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 85/2026 संस्थित की जाकर दौराने अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 305(डी) भारतीय न्याय संहिता, 2023 के आरोप प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाये जाने पर प्रार्थी/अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जो वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है।

4. बहस जमानत प्रार्थना–पत्र सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

5. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने दौराने बहस जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये यह तर्क दिये है कि प्रार्थी/अभियुक्त को हस्तगत प्रकरण में मिथ्या तथ्यों के आधार पर आलिप्त किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त नवयुवक है, जिसके लम्बे समय तक अभिरक्षा में रहने से उसके परिवार व चरित्र पर विपरीत असर पड़ने की पूर्ण सम्भावना है। प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में अभी समय लगने की सम्भावना है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय द्वारा लगाई जाने वाली तमाम शर्तों व नियमों की पालना करने को तैयार है तथा माफिक आदेशानुसार मौतबीर जमानत पेश करने को तैयार है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उसे रिहा किए जाने का निवेदन किया है।

6. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने बहस के दौरान यह तर्क प्रस्तुत किये है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आमजन की श्रद्धा के केन्द्र मंदिर से छत्र चोरी करने का गम्भीर आरोप है। इसलिये आरोपित कृत्य की गम्भीरता को देखते हुए प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज करने का निवेदन किया है।

7. उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। केस डायरी का

अवलोकन किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त का पूर्ववर्ती आपराधिक रिकार्ड निम्न प्रकार से हैः–

क.सं.	प्र0सू0 संख्या	पुलिस थाना	अपराध धारा	स्टेज
1	337/2025	कुचामन सिटी	303(2), 317 बी.एन.एस.	अन्वीक्षाधीन
2	403/2025	कुचामन सिटी	305(डी), 317(2) बी.एन.एस.	अन्वीक्षाधीन
3	405/2025	कुचामन सिटी	305(डी) बी.एन.एस.	अन्वीक्षाधीन
4.	86/2026	नावां	305(ए) बी.एन.एस.	अन्वीक्षाधीन

8. केस डायरी के अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा दिनांक 19–05–2026 को दोपहर 11:00–12:00 बजे के बीच ग्राम चारणवास, गोन्याणा तालाब स्थित श्री करणी माताजी मंदिर, जो कि जन आस्था का केन्द्र है, से चांदी का छत्र बेईमानीपूर्ण आशय से ले लेने के लिये हटाकर चोरी कारित करने का गम्भीर आरोप है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी/अभियुक्त के पूर्ववर्ती आपराधिक रिकार्ड के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध समान प्रकृति के पूर्ववर्ती चार आपराधिक प्रकरण संस्थित होकर अन्वीक्षाधीन होने का तथ्य दर्शित होता है। इस प्रकार प्रार्थी/अभियुक्त की आपराधिक पृष्ठभूमि भी स्वच्छ नहीं होने का तथ्य दर्शित होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त **नीरू यादव बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. ए.आई. आर. 2015 (एस.सी.) 3703** तथा **स्टेट ऑफ उड़ीसा बनाम महिमानन्दा मिश्रा 2018, सुप्रीम (एस.सी.) 890** में यह अभिनिर्धारित किया है कि **''अभियुक्त को जमानत का लाभ प्रदान करते समय न्यायालय को उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि पर भी विचार करना चाहिये।''**

9. ऐसी स्थिति में सम्मानीय न्यायिक दृष्टान्तों के प्रकाश में प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, प्रार्थी/अभियुक्त की आपराधिक पृष्ठभूमि एवं अपराध की गम्भीरता के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत प्रकरण के गुणावगुण पर इस स्तर पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त का यह जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

::– आदेश ::–

10. अतः प्रार्थी/अभियुक्त दिनेश पुत्र कालुराम निवासी कड़वा का बासड़ा, स्टेशन रोड़, कुचामन सिटी, जिलाः डीडवाना–कुचामन की ओर से प्रथम सूचना संख्या 85/2026, पुलिस थाना चितावा के प्रकरण में प्रस्तुत यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 एतद्द्वारा अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

(कुसुम सुत्रकार)
अपर सेशन न्यायाधीश, कुचामन सिटी
जिलाः डीडवाना–कुचामन।

11. आदेश आज दिनांक 05–06–2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित, मुद्रांकित व प्रसारित किया गया।

(कुसुम सुत्रकार)
अपर सेशन न्यायाधीश, कुचामन सिटी
जिलाः डीडवाना–कुचामन।

::– प्रमाण–पत्र::–

निर्णय/आदेश में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड़ करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

नोटः– यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिप न्यायालय से प्राप्त कर सकते है।